राज्य योजना/आयोजनागत

संख्या– 810 /XV-2/01(13)/2006

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग– 02 देहरादून, दिनांक 21 जून, 2011:

विषय :– वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–28 आयोजनागत (सामान्य) अन्तर्गत महिला डेरी विकास योजना में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, (वित्त) के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31–3–2011 के क्रम में एवं आपके पत्र संख्या 500–502/लेखा–प्रस्ताव आयो0 सामान्य/2011–12, दिनांक 03–06–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रथम त्रैमास के व्यय हेतु महिला डेरी विकास योजना सामान्य के कल्याणार्थ डेरी विकास विभाग को निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न मदो में कुल धनराशि ₹ 35.00 लाख (₹ पैंतिस लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क0सं0	मद का नाम	धनराशि
1.	महिला दुग्ध समितियों का गठन	1,69,175
2.	सुपरवीजन, मॉनीटरिंग एवं एडमिनिस्ट्रेशन	29,89,625
3.	प्रपोलसन चार्जेज	1,05,100
4.	एक्सटेनशन एण्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	1,31,000
5.	ओवरराईडिंग कॉस्ट	1,05,100
	कुल योग :–	35,00,000

1. अवमुक्त की जा रही धनराशी का आहरण कर महिला डेरी विकास परियोजना को उपलब्ध करायेगे।
2. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय, साथ ही इस धनराशि का एक मुश्त आहरण न किया जाय।
3. सभी कार्यों का जनपदवार वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण भी आपके द्वारा तत्काल कर दिया जाय तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यों की सूचना उपलब्ध करा दी जाय।
4. उक्त धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत ही किया जाय। धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहॉ कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
5. स्वीकृति धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण कार्यों के लिये किया जाये।
6. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद्द से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

2/